

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक: F26(4)()आ.बा.चलों अभि./IEC/ICDS/2017/ १७२२३६-५५ जयपुर दिनांक : २१.०५.१८
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (राजस्थान)

विषय:- 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों/विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकन कराने वाली पंचायत /वार्ड को ड्रॉप आउट फ्री "उजियारी पंचायत" घोषित किये जाने के संबंध में।
संदर्भ:-स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान के पत्र क्रमांक 1787 दिनांक 24.05.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिनांक 15 जून से 30 जून, 2018 तक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम मनाया जाना है। इस अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा आशा-सहयोगिनी अपने सर्वे क्षेत्र के प्रत्येक घर में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके आईसीडीएस की मुख्य सेवाओं की जानकारी प्रदान करेगी। वे सर्वे क्षेत्र में आने वाले सभी लाभार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें लाभान्वित करेंगी। जो बच्चे 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के हैं किन्तु आंगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्र पर ईसीई के तहत पंजीकृत करके नियमित रूप से केन्द्र पर लाना सुनिश्चित किया जायेगा।

साथ ही सभी पंचायत/वार्डों के समस्त 3-6 वर्ष के बालक-बालिकाओं को चिन्हित कर/सर्वे कर आंगनबाड़ी केन्द्रों से जोड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया जावे। जिन बच्चों प्री स्कूल शिक्षा पूर्ण कर ली गई है अथवा 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है उन्हें विद्यालयों से जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण करे। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मनाया जावे। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् अनामांकित /0 ड्रॉप आउट पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किया जाना है। जिसकी सूचना संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में देवे। ड्रॉप आउट फ्री पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किये जाने के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश/मापदण्ड मय आवश्यक प्रपत्रों संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

आप अपने अधिनस्थ समस्त अधिकारियों/महिला पर्यवेक्षकों/मानदेयकर्मियों को यह निर्देशित करे कि वे नामांकन वृद्धि हेतु अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी/विद्यालयों से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर परिणाम आधारित कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि उनकी पंचायत **ड्रॉप आउट फ्री पंचायत "उजियारी पंचायत"** घोषित हो सकें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: F26(4)()आ.बा.चलों अभि./IEC/ICDS/2017/ १७२२३६-५५ जयपुर दिनांक : २१.०५.१८
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर को आपके पत्र क्रमांक 1787 दिनांक 24.05.18 के क्रम में सूचनार्थ।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार **प्रवेशोत्सव कार्यक्रम मनाया जाना सुनिश्चित करावे व अनामांकित बच्चों का पंजीकरण कराकर ड्रॉप आउट फ्री पंचायत "उजियारी पंचायत" में भागीदारी सुनिश्चित करावे।**
3. एसीपी (उप निदेशक) को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक : 24/5/18

दिनांक : 24/5/18

निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान।
निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
समस्त जिला कलक्टर।
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
समस्त उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग।
समस्त उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा समस्त शिक्षा संभाग।
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा समस्त जिले।

A.O. (152)
24/5/18

विषय : समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों/विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री "उजियारी पंचायत" घोषित किये जाने के संदर्भ में मानदण्ड।

संदर्भ : पूर्व पत्र क्रमांक JAI/PFEE/ प्रवेशोत्सव/2018-19/244/दिनांक 06.04.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको प्रवेशोत्सव संबंधी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। अब तक सभी पंचायतों में समस्त बालक बालिकाओं को चिन्हित कर/सर्वे कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया होगा। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का द्वितीय चरण 19.06.2018 से 03.07.2018 तक आयोजित किया जाना है। प्रवेशोत्सव के दोनों चरण पूर्ण होने के पश्चात अनामांकित/0 ड्रॉप आउट पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किया जाना है।

ड्रॉप आउट फ्री पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किये जाने के संदर्भ में विरतुत दिशा निर्देश/मानदण्ड एवं आवश्यक प्रपत्रों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/प्रधानाध्यापकों को यह निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी/विद्यालयों से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर परिणाम आधारित कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि उनकी पंचायत ड्रॉप आउट फ्री पंचायत "उजियारी पंचायत" घोषित हो सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(नरेश शाल गंगवार)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : 24/5/18

दिनांक : 24/5/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महादय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री महादय, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महादय, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
8. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
9. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, आयुक्त, राप्रशिप, जयपुर।
11. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रमसा।
12. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियां (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
14. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियां (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
15. समस्त अति. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान एवं रमसा।
16. समस्त बीईईओ/पीईईओ।
17. शक्ति पत्रावली।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

रैण्डम सर्वे प्रपत्र

क्र.	बालक / बालिका का नाम	आयु	लिंग	पिता का नाम	माता का नाम	हाउस होल्ड नम्बर	वार्ड नम्बर	राजस्व ग्रान / दानी / अन्य	नामांकित / अनामांकित / ड्राप आउट	अनामांकित / ड्राप आउट है तो मुख्यद्वारा से जुड़ाव (हाँ / नहीं)	यदि नामांकित है तो विद्यालय का नाम	अनामांकित / ड्राप आउट है तो विद्यालय का नाम	कक्षा

समस्त अनामांकित / ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र / विद्यालय में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने पर ड्रॉप आउट फ्री "उजियारी पंचायत" घोषित किये जाने हेतु मानदण्ड

1. प्रस्तावना

1.1 हमारा संविधान 14 आयु वर्ग तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

1.2 5 से 18 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में उहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान भी महत्वपूर्ण है।

1.3 वर्ष 2018-19 हेतु शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के समापन के साथ ही नामांकन वृद्धि एवं उहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाये जाने का निश्चय किया गया है। ऐसी पूर्ण नामांकन एवं उहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अनामांकन व ड्रॉप आउट फ्री पंचायतों को "उजियारी पंचायत" के रूप में चिन्हित कर सम्मानित किया जायेगा।

"उजियारी पंचायत" की घोषणा हेतु मापदण्ड -

1.2.1 3 से 5/6 वर्ष के समस्त बालक-बालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने निवास क्षेत्र की नजदीकी आंगनबाड़ी में नामांकित है।

1.2.2 5-6 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिका (आंगनबाड़ी में नामांकित/अनामांकित) का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन कक्षा 1 में करवा दिया गया है।

1.2.3 कक्षा 5/8/10 उत्तीर्ण अथवा इनकी परीक्षा में प्रविष्ट 80 प्रतिशत से अधिक बालक-बालिकाओं का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन क्रमशः कक्षा 6/9/11 में करवा दिया गया है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले बालक-बालिकाओं का नामांकन अगली कक्षा में करवा दिया गया है।

प्रमाण-पत्र

उजियारी पंचायत

अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री ग्राम पंचायत

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायतमें कोई भी बालक-बालिका जो 3 से 18 वर्ष की उम्र का है शिक्षा से वंचित नहीं है। और न ही कोई बालक-बालिका अनामांकित/ड्रॉप आउट है।

पंचायत से प्राप्त घोषणा पत्र एवं जाँच समितियों की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत..... ब्लॉक..... जिला..... को शैक्षिक सत्र के लिये अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री पंचायत "उजियारी पंचायत" घोषित किया जाता है।


यह प्रमाण पत्र आज दिनांक.....को जारी किया जाता है।

जिला कलक्टर एवं जिला मस्ट्रैट
जिला.....

- 1.2.4 यदि कोई विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है और यदि रहा है तो उसे पुनः आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।
- 1.2.5 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल (अनामांकित/ड्रापआउट) बच्चों को विशेष शिक्षण करवाया जाकर आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया गया है एवं वे कक्षा में प्रवेशित और अध्यनरत है।
- 1.2.6 पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) कार्यालय में 0 से 18 वर्ष के पंचायत क्षेत्र के समस्त बालक-बालिकाओं का हाउस होल्डवार सर्वे रिकॉर्ड संधारण किया हुआ हो।
- 1.2.7 पंचायत को उजियारी पंचायत की घोषणा की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष की जायेगी।

आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया –

- 1.3.1 उजियारी पंचायत घोषणा के लिये आवेदन जुलाई माह में आमंत्रित किये जायेंगे एवं प्राप्त आवेदनों का दो चरणों में क्रमश ब्लॉक एवं जिला स्तर से गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- 1.3.2 उजियारी पंचायत घोषणा हेतु आवेदन पत्र पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भरा जावेगा।
- 1.3.3 आवेदन पत्र सरपंच, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ), पंचायत सचिव एवं महिला पर्यवेक्षक (आईसीडीएस) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 1.3.4 उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्ताव ग्राम सभा की मासिक बैठक में अनुमोदन कराया जावेगा तत्पश्चात ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) को प्रेषित किया जावेगा।
- 1.3.5 आवेदन के साथ पंचायत के किसी भी ग्राम में 3 से 5/6 वर्ष का कोई भी बच्चा आंगनबाड़ी में नामांकन एवं 5/6 से 18 वर्ष का बच्चा विद्यालय में नामांकन से वंचित नहीं है के आशय का सरपंच, पीईईओ, पंचायत सचिव एवं महिला पर्यवेक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर वाला प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जावेगा। (प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न)
- 1.3.6 उपखण्ड अधिकारी द्वारा गठित ब्लॉक स्तरीय तीन सदस्यीय समिति द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे –



ड्राप आउट फ्री "उजियारी पंचायत" की घोषणा

(यह प्रपत्र पंचायत द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे)

मैं.....सरपंच ग्राम पंचायत..... में

पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत..... में

ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत..... में

महिला पर्यवेक्षक (ICDS) ग्राम पंचायत..... हम संयुक्त रूप से
घोषणा करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत..... ब्लॉक.....

जिला..... में 0 से 18 वर्ष के समस्त बालक-बालिकायें अपनी आयु के
अनुरूप आंगनवाड़ी/विद्यालय में नामांकित एवं अध्यनरत है और कोई भी बालक-बालिका
ड्राप आउट अथवा अनामांकित नहीं है तथा पंचायत में 0 से 18 वर्ष तक के कुल बच्चों की
संख्या निम्नानुसार है -

0 से 3 वर्ष	3 से 6 वर्ष	6 से 14 वर्ष	14 से 18 वर्ष	कुल बच्चों की संख्या

महिला पर्यवेक्षक

ग्राम सचिव

पीईईओ

सरपंच

नाम

नाम.....

नाम.....

नाम

विद्यालय का नाम

.....

हो) में उपलब्ध रिकॉर्ड का भौतिक स्थिति से मिलान करते हुये उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट से भी मिलान किया जायेगा।

- 1.3.15 जिला कलक्टर द्वारा गठित ब्लॉकवार समितियां भौतिक सत्यापन पश्चात अनुशंषा रिपोर्ट डीईओ माध्यमिक को प्रेषित करेगी।
- 1.3.16 डीईओ माध्यमिक द्वारा उक्त रिपोर्ट को जिला निष्पादक समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जावेगा।
- 1.3.17 जिला निष्पादक समिति की बैठक में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर चर्चा एवं अनुमोदन पश्चात मानदण्डानुसार सम्बन्धित पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित करने हेतु अनुमोदन किया जावेगा।

उजियारी पंचायत की घोषणा

- 1.4.1 आवेदित, सत्यापित एवं जिला निष्पादक समिति में अनुमोदित पंचायत को "उजियारी पंचायत" घोषित किया जायेगा एवं घोषणा प्रमाण पत्र जिला स्तरीय सम्मान समारोह 15 अगस्त/5 सितम्बर/26 जनवरी में दिया जावेगा।
- 1.4.2 उजियारी पंचायत घोषणा का प्रमाण पत्र जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्बन्धित पीईओ कार्यालय को दिया जावेगा।
- 1.4.3 उजियारी पंचायत घोषणा कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक/कार्यालय को ब्लॉक/जिला स्तरीय सम्मान समारोह में 15 अगस्त/5 सितम्बर/26 जनवरी को सम्मानित किया जाकर उत्कृष्ट प्रमाण पत्र दिया जावेगा।
- 1.4.4 उजियारी पंचायत घोषणा पश्चात पंचायत के पंचायत भवन एवं पंचायत के सभी विद्यालयों पर "अनामांकित/ड्राप आउट फ्री उजियारी पंचायत" लिखवाया जावे।
- 1.4.5 राज्य सरकार की विभागीय योजना क्रियान्वयन में प्राथमिकता उजियारी पंचायत को दी जावेगी।



1. बीईईओ/एबीईईओ

2. आवेदित पंचायत से भिन्न पंचायत का पीईईओ

3. उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामित सदस्य

1.3.7 ब्लॉक स्तरीय भौतिक सत्यापन दल सत्यापन की तिथि के संबंध में सम्बन्धित पीईईओ को पूर्व सूचना देगा।

1.3.8 भौतिक सत्यापन के समय सम्बन्धित पंचायत के सरपंच एवं सम्बन्धित वार्ड के वार्डपंच को भी यथासम्भव साथ रखा जावे और इस बाबत सम्बन्धित पीईईओ द्वारा उन्हें पूर्व में सूचित किया जायेगा।

1.3.9 पंचायत से प्राप्त आवेदन पर भौतिक सत्यापन दल पंचायत के कम से कम 25 प्रतिशत या न्यूनतम 4 विद्यालय एवं 4 आंगनबाड़ी जो भी अधिक हो में उपलब्ध सर्वे रिकोर्ड का सत्यापन भौतिक स्थिति से करेगा।।

1.3.10 आवेदनों के भौतिक सत्यापन के दौरान सम्बन्धित पंचायत के पीईईओ कार्यालय में उपलब्ध हाउस होल्ड सर्वे रिकोर्ड में से रैण्डमली 5 प्रतिशत सर्वे प्रपत्र लिये जाकर सम्बन्धित घरों में बालक-बालिकाओं की वस्तु स्थिति (हैड काउंटिंग) का मिलान आंगनबाड़ी एवं विद्यालय (सरकारी एवं निजी) के रिकोर्ड से किया जायेगा।

1.3.11 भौतिक सत्यापन के दौरान सर्वे में हाउस होल्ड के साथ-साथ अन्य बसावट जैसे गौद के आस-पास गाड़िया लुहार, ईट भट्टा, बस स्टैण्ड, गाँव से दूर ढाणी, पूरबा, मजरा आदि को भी सम्मिलित जाकर भौतिक सत्यापन किया जावे।

1.3.12 सत्यापन दल द्वारा प्रमाणिक रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की जावेगी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त सत्यापन रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रेषित की जायेगी एवं उसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को भी भिजवायी जावे।

1.3.13 जिला कलक्टर द्वारा ब्लॉकवार तीन सदस्यीय समितियों का गठन किया जायेगा। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे -

1. जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि/प्राशि/एडीईओ/एडीपीसी (एसएसए/ रमसा)

2. भिन्न पंचायत समिति की पंचायत का पीईईओ

3. कलक्टर द्वारा नामित सदस्य

1.3.14 जिला स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की मौके पर पूर्ण जांच की जायेगी तथा पंचायत के 25 प्रतिशत विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी अथवा न्यूनतम 2 विद्यालय एवं 2 आंगनबाड़ी (जो भी अधिक